

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
334/2024

दायर दिनांक  
18.06.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
03.07.2024

1. शिवराज पुत्र मांगीलाल ढोली जाति ढोली उम्र 54 वर्ष निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. राकेश पुत्र रामचन्द्र ढोली जाति ढोली उम्र 54 वर्ष निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बन्ना पिता मोडा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता मोडा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. राधेश्याम दत्तक पुत्र रामचन्द्र बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. धापु पुत्री कल्याण नाई जाति नाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. लादूलाल पिता कजोड ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. गणेश पिता मांगीलाल ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. घनश्याम पिता मांगीलाल ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
8. कमला पत्नी स्व0 रामचन्द्र ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
9. दिनेश पिता रामचन्द्र ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. रामघणी पुत्री रामचन्द्र ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
11. एजन पत्नी स्व0 नाथू ढोली जाति ढोली उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
12. उदयलाल पिता रामसुख जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

13. जगदीश पिता रामसुख जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
14. नारायण पिता रामचन्द्र जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
15. बरमा पिता रामा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
16. सुरजमल पिता रामा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
17. भूरा पिता कल्याण जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
18. रामकुंवार पिता कल्याण जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
19. उदा पिता नन्दा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
20. गुणवन्ती पत्नी राजेश कुमार क्षेत्रिय उम्र वयस्क निवासी सवाईपुर तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
21. संवरमल पिता रामचन्द्र जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी शोपुरा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
22. राजस्थान राज्य जरिये भू-धारक तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी दिनेश जैन  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 21 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खजीना प0ह0 आकोला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 284 की अभिलिखित आराजियात 133, 134, 1740, 1731, 1862, 1863, 82 कुल किता 7 कुल रकबा 5.8922 हैक्टेयर व खाता संख्या 269 की आराजी संख्या 1733 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7122 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपस्थित अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 21 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा खजीना प0ह0 आकोला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 284 की अभिलिखित आराजियात 133, 134, 1740, 1731, 1862, 1863, 82 कुल किता 7 कुल रकबा 5.8922 हैक्टेयर व खाता संख्या 269 की आराजी संख्या 1733 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7122 है0 भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अ.हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा